क्रम संख्या–55 (क) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018 ई0
चैत्र 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 201/XXXVI(3)/2018/33(1)/2018
देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः **18 वर्ष, 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2011) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित,

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2011), की धारा 3 की उपधारा (4) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।"

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 201/XXXVI(3)/2018/33(1)/2018
Dated Dehradun, April 13, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The National Law University of Uttarakhand (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya **18** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12 April, 2018.

The National Law University of Uttarakhand (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 18 of 2018)

AN

ACT

further to amend the National Law University of Uttarakhand Act, 2011 (Uttarakhand Act no 11 of 2011) to the context of the State of Uttarakhand,

Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-ninth year of the Republic of India-

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the National Law University of Uttarakhand (Amendment) Act, 2018.

   (2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 3

2. In the National Law University of Uttarakhand Act, 2011 (Uttarakhand Act no 11 of 2011), sub-section (4) of Section 3 shall be substituted as follows, namely-

   "(4) The headquarters of the University shall be at such place as may be specified by the State Government."

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय भवाली, नैनीताल में स्थापित किये जाने की व्यवस्था उपबंधित की गयी थी। विभिन्न प्रयासों के पश्चात् भी भवाली, नैनीताल में विधि विश्वविद्यालय के मानक के अनुरूप भूमि प्राप्त न होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के लिए जिला ऊधमसिंह नगर के खुर्पिया फार्म अथवा पराग फार्म में से किसी एक स्थान पर पच्चीस एकड़ भूमि का चयन कर विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही कर ली जाय। तद्नुसार उक्त उपधारा को भी संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधायी / 228—2018—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।